नावधिकरण विषयक उपनिवेशिक न्यायालय (भारत) अधिनियम, 1891

(1891 का अधिनियम संख्यांक 16)

[14 मई, 1891]

भारत में कतिपय न्यायालयों को नावधिकरण विषयक उपनिवेशिक न्यायालय घोषित करने के लिए अधिनियम

यत: नावधिकरण विषयक उपनिवेशिक न्यायालय अधिनियम, 1890 (53 और 54 विक्० सी०/ 27) द्वारा यह उपबन्ध किया गया है कि किसी ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्र का विधान-मंडल, उस क्षेत्र में असीमित सिविल अधिकारिता वाले किसी न्यायालय को किसी उपनिवेशिक विधि द्वारा नावधिकरण विषयक उपनिवेशिक न्यायालय घोषित कर सकेगा;

और यत: उस उपबन्ध के अनुसरण में यह समीचीन है कि भारत में कतिपय न्यायालयों को नावधिकरण विषयक उपनिवेशिक न्यायालय घोषित किया जाए;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नावधिकरण विषयक उपनिवेशिक न्यायालय (भारत) अधिनियम, 1891 है ।

(2) यह,—

(क) यदि इस पर, राजपत्र में अधिसूचना[1] द्वारा, हर मजेस्टी की स्वीकृति जुलाई, 1891 के प्रथम दिन या उसके पूर्व संज्ञापित कर दी जाए तो, उस दिन प्रभावी हो जाएगा, अथवा

(ख) यदि इस पर हर मजेस्टी की स्वीकृति उस दिन या उसके पूर्व इस प्रकार संज्ञापित न की जाए तो, उस दिन प्रभावी होगा जब हर मजेस्टी की स्वीकृति यथापूर्वोक्त अधिसूचना द्वारा संज्ञापित की जाए ।

2. नावधिकरण विषयक उपनिवेशिक न्यायालयों की नियुक्ति—असीमित सिविल अधिकारिता वाले निम्नलिखित न्यायालय एतद्द्वारा नावधिकरण विषयक उपनिवेशिक न्यायालय घोषित किए जाते हैं, अर्थात् :—

(1) बंगाल में फोर्ट विलियम स्थित उच्च न्यायालय,

(2) मद्रास स्थित उच्च न्यायालय, [2][और]

(3) मुम्बई स्थित उच्च न्यायालय, [3]***

[4]* * * * *

3. जिन भारतीय अधिनियमों में नावधिकरण विषयक न्यायालयों और उप-नावधिकरण विषयक न्यायालयों के प्रति निर्देश हैं उनका अर्थान्वयन—"नावधिकरण विषक अधिकारिता वाला न्यायालय" और "नावधिकरण विषयक न्यायालय" अभिव्यक्तियों तथा "नावधिकरण या उप-नावधिकरण विषयक मामला" अभिव्यक्ति तथा नावधिकरण विषयक न्यायालयों या उप-नावधिकरण विषयक न्यायालयों या मामलों के प्रति निर्देश करने वाली अन्य अभिव्यक्तियों के बारे में, जहां कहीं ऐसी कोई अभिव्यक्ति किसी [5][भारतीय विधि] में आती है, यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत नावधिकरण विषयक उपनिवेशिक न्यायालय और नावधिकरण विषयक उपनिवेशिक न्यायालय वाला मामला भी है, और वह क्रमश: नावधिकरण विषयक उपनिवेशिक न्यायालय या नावधिकरण विषयक उपनिवेशिक न्यायालय वाले मामले के प्रति निर्देश है ।

---

[1] इस अधिनियम को हर ब्रिटानिक मजेस्टी की अनुमति प्रकाशित करने वाली अधिसूचना के लिए देखिए भारत का राजपत्र, 1891, भाग 1, पृष्ठ 371 ।

[2] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "और" शब्द निरसित ।

[4] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा, "(4) रंगून स्थित उच्च न्यायालय, (5) अदन स्थित रेजीडेंट न्यायालय, और" अंक और शब्द निरसित किए गए और भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "कराची जिला न्यायालय" शब्द निरसित ।

[5] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल की या सपरिषद् गवर्नर की या सपरिषद् लेफ्टीनेंट गवर्नर की अधिनियमिति" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

4. [कराची स्थित नावधिकरण विषयक उपनिवेशिक न्यायालय में वादों की फीस ।]—भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा निरसित ।

5. [निरसन ।]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 10) द्वारा निरसित ।

अनुसूची—[अधिनियमितियां निरसित ।]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 10) द्वारा निरसित ।

———